उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग-2
संख्या-ए-2-311 /दस-98-24(2)/98
लखनऊः दिनांक 29 जून, 1998

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-ए-1-3244/दस-73, दिनांक 11-12-1973 द्वारा दिनांक 1-4-1974 से लोक निर्माण, सिंचाई तथा वन विभागों के व्यय के आहरणों के सम्बन्ध में विनियोजन के नियंत्रण के उद्देश्य से साख सीमा प्रणाली लागू की गयी थी। शासनादेश संख्या-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 संपठित शासनादेश संख्या-ए-2-856/दस-97-10(9)/95, दिनांक 22 अप्रैल, 1997 के अन्तर्गत लोक निर्माण, सिंचाई, वन/जलागम प्रबन्ध निदेशालय, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं व्ययाधिक्य को रोकने के उद्देश्य से दिनांक 1-4-97 से सी.सी.एल./डी.सी.एल. की संशोधित प्रणाली लागू है। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की मांग पर सी.सी.एल. वित्त विभाग के व्यय-नियंत्रण अनुभागों द्वारा निर्गत की जाती है। डी.सी.एल. निर्गत करने का अधिकार सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/वन संरक्षक/निदेशक जलागम प्रबन्ध को प्रदत्त हैं। वन/जलागम प्रबन्ध निदेशालय को छोड़कर अन्य विभागों के अधिष्ठान व्यय सम्बन्धी देयक दिनांक 1-4-97 से चेक के माध्यम से भुगतान करना समाप्त कर कोषागार से बिल पारित कराकर भुगतान करने की प्रक्रिया लागू है।

2- सी.सी.एल. प्रणाली के औचित्य/क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सचिव, वित्त (बजट संसाधन एवं वेतन आयोग) की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों पर सम्यक् विचार करने के उपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि सी.सी.एल. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में नियुक्त वित्त नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा सीधे जनपद में सम्बन्धित खण्ड/प्रभाग/निदेशन प्रभाग को जारी की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी :-

(1) सी.सी.एल. सम्बन्धित खण्ड/प्रभाग/निदेशन प्रभाग की मांग पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के बजट आबंटन के आधार पर जारी की जाएगी।

(2) लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ

जल विभाग में सी.सी.एल. प्रत्येक त्रैमास के प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में निम्नवत जारी की जायगी :-

प्रथम त्रैमास	-	35 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास	-	15 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास	-	35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास	-	15 प्रतिशत

(3) वन विभाग/संलग्न प्रबन्ध निदेशालय में सी.सी.एल. प्रत्येक त्रैमास प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में निम्नवत जारी की जायगी :-

प्रथम त्रैमास	-	20 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास	-	25 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास	-	40 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास	-	15 प्रतिशत

(4) सी.सी.एल. जारी करने से पूर्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जायगा ।

(5) वित्त नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा जारी सी.सी.एल. के साहबार व्यय/अवशेष की समीक्षा उनके स्वयं के द्वारा की जायगी ।

3- राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य ऐसे कार्य, जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं और जिनके भुगतान की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है, की सी.सी.एल. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में नियुक्त वित्त नियंत्रक द्वारा नियमानुसार जारी की जायगी ।

4- लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के आय-व्ययक प्राविधान के भाग-4 अन्तर्गत दर्शायी गयी समस्त वस्तुओं तथा प्रोराटा प्राविधानों की कोई सी. [illegible] जारी नहीं की जायगी ।

5- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि :-

(1) सी.सी.एल. की मांग, पूर्व निर्गत सी.सी.एल. के उपयोग, समायोजन व्यय तथा अवशेष की सूचना सम्बन्धित खण्डों/प्रभागों/निदेशन प्रभागों वित्त नियंत्रक अथवा वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, यथास्थिति, को समय से मिलती रहे ।

(2) सम्बन्धित खण्डों/प्रभागों/निदेशन प्रभागों को उनके द्वारा उन कार्यों के लिये बजट का आवंटन कर दिया गया है जिसके लिये सी.सी.एल. की मांग की गयी है।

.....

(3) किसी भी स्थिति में किसी एक कार्य के लिये जारी सी. सी. एल. का उपयोग अन्य कार्य पर नहीं की जाएगी और सी. सी. एल. सम्बन्धित खण्डों /प्रभागों/निदेशन प्रभागों को आबंटित बजट की सीमा के अन्दर ही रखा जाएगा।

(4) सी. सी. एल. का उपयोग सम्बन्धित त्रैमास/वित्तीय वर्ष में ही हो और किसी भी दशा में इसका उल्लंघन न होने पाये।

6- उक्त व्यवस्था नियमानुसार तथा सुचारू रूप से विभागाध्यक्ष द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इसकी समीक्षा सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अवश्य की जाये।

7- सम्बन्धित कोषाधिकारी का यह दायित्व होगा तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय में सी. सी. एल. का आबंटन प्राप्त होते ही उसे वे संबंधित बैंक को अधिकतम तीन कार्य दिवसों के अन्दर अवश्य संसूचित करेंगे।

8- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा शासनादेश संख्या-ए-2-47/दस-97-10(91)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। उक्त शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 1997 की शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी।

9- इस आदेश के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा अपने विभाग के समस्त आहरण अधिकारियों को समुचित अनुदेश तत्काल निर्गत किये जाएंगे।

10- इस आदेश को वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों एवं शासनादेश के अन्तर्गत कार्यान्वित करने का दायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा ताकि निर्माण कार्य अवरुद्ध न हों तथा विकास कार्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

11- वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

(सुशील चन्द्र त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन सं0-ए-2-311(1)/दस-98-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. चीफ एकाउन्टेन्ट, रिज़र्व बैंक आफ इन्डिया, सेन्ट्रल आफिस, मुम्बई।

.....4

(4) महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/नई दिल्ली ।
(5) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई/वन विभाग, उ0प्र0शासन ।
(6) सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उ0प्र0शासन ।
(7) सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग, उ0प्र0शासन ।
(8) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण/सिंचाई विभाग, उ0प्र0लखनऊ ।
(9) प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ ।
(10) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ ।
(11) निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उ0प्र0, देहरादून ।
(12) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
(13) मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, उ0प्र0, लखनऊ ।
(14) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण/सिंचाई/वन/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0लख
(15) मुख्य लेखाधिकारी, लघु सिंचाई, उ0प्र0, लखनऊ ।
(16) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
(17) निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ0प्र0, जवाहरभवन, लखनऊ ।
(18) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
(19) अतिरिक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
(20) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(21) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(ए0 पी0 वर्मा)
अनु सचिव ।